



कार्यालय उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय,
राजस्थान आवासन मण्डल,
जे0एल0एन0 मार्ग, जवाहर सर्किल के पास, जयपुर
Phone No. 0141-4901853 E-Mail :- dhcjr3.rhb@rajasthan.gov.in

क्रमांक :- 4854


दिनांक :- 28/12/2020

कार्यालय आदेश

दिनांक 27.11.2020 को आयोजित निवाई आवासीय योजना फेज-द्वितीय 2020 हेतु आयोजित वरीयता निर्धारण लॉटरी में, मध्यम आय वर्ग "अ" जी2-प्रथम श्रेणी में कोटा अन्तरित करने के पश्चात् किराया क्रय पद्धति में उपलब्ध 10 आवासों व नकद भुगतान पद्धति में उपलब्ध 4 आवासों के विरुद्ध सहवन से किराया क्रय पद्धति के 10 आवेदकों के स्थान पर 8 तथा नकद भुगतान पद्धति के 4 आवेदकों के स्थान पर 4 आवेदक सफल घोषित होने के कारण जी2 प्रथम श्रेणी किराया क्रय पद्धति के दो आवेदक सफल घोषित होने से वंचित रह गये।


उक्त वांछित सुधार कर आज दिनांक 28.12.2020 को आयोजित लॉटरी में ऐजेण्डे के माध्यम से जी-2 प्रथम श्रेणी किराया क्रय पद्धति के अन्य दो कनिष्ठ आवेदकों जिनका वरीयता क्रमांक 9 एवं 10 है को एतद् द्वारा वरीयता निर्धारण में सफल घोषित किया जाता है। जिनके नाम क्रमशः श्रीमती शकुन्तला देवी (वरीयता क्रमांक MIG-A/GII-I/9) एवं श्री श्याम पारीक (वरीयता क्रमांक MIG-A/GII-I/10) है।

उक्त आदेशों को सक्षम समिति से अनुमोदन प्राप्त है।


सम्पदा प्रबन्धक,
वृत्त-तृतीय, जयपुर।

प्रतिलिपि :-

1. उप आवासन आयुक्त, वृत्त-तृतीय, रा0आ0मं0, जयपुर।
2. आवासीय अभियन्ता, खण्ड-तेरह, रा0आ0मं0, जयपुर।
3. संबंधित आवेदिका श्रीमती शकुन्तला देवी पत्नी श्री कमल किशोर ताम्बी, ग्राम व पोस्ट खिरनी, केशव कटला, तहसील मलारना डूंगर, जिला सवाईमाधोपुर
4. संबंधित आवेदक श्री श्याम पारीक पुत्र श्री सत्यदेव पारीक, वार्ड नम्बर-12, कायशतों का मोहल्ला, निवाई, जिला टोंक
5. संबंधित आवेदकों की मूल पत्रावली।


सम्पदा प्रबन्धक,
वृत्त-तृतीय, जयपुर।